



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

HT-1-9/14-2-2017



जहाँ है वन
वहाँ है प्रशास

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeftroko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/02/2017/एफ0सी0/477-479

दिनांक : 11/11/17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/10947/2015)

विषय: गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 2633 वृक्षों व 7884 पौधों के पातन, 1.035 हे० संरक्षित वनभूमि उस पर अवस्थित 10931 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-194/14-2-2016-800(193)/2016, दिनांक- 29.12.16

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. The kml file of proposed forest land diversion is in poly-line format rather than polygon format. Therefore, GIS DSS analysis of the proposed forest land diversion is not possible.
2. The proposal is without Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.
3. The details of 10 patches of forest land proposed for diversion has not been provided in hard copy as well as not uploaded online.
4. The proposal has been submitted with analysis of minimum three alternative alignments but selection of proposed alignment is not based on the basis of minimum forest area. The kml files of three alternatives with details of forest area calculation have also not been submitted with the proposal.
5. Topo-sheet attached for alternative alignment does not provide forest area values of each alternative.
6. Though the proposal is less than 20 ha in plains and does not require cost-benefit analysis but the copy uploaded with the proposal is not as per MoEF&CC guidelines.
7. The proposal is without copy of application required for Environmental Clearance.
8. The forest area calculation as per land schedule uploaded with the proposal shows different value of forest area for diversion. This is a major flaw and needs rectification.

[Handwritten signature]
10/11/17

9. The forest gazette notifications uploaded and copy provided with the proposal are different.
10. The certificate of DM under FRA 2006 (page 216) does not mention all the gazette notifications. This needs revision. The correct certificate needs uploading also.
11. A copy of strip plan uploaded with the proposal needs submission along with hard copy.
12. The compensatory afforestation has been proposed on double degraded forest land which is without inclusion of cost escalation due to inflation.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक- मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ० प्र०।
4. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, पी०आई०यू०, गाजियाबाद, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1495/गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 16, 2017

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संशोधन हेतु प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि० 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मेरठ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, पी०आई०यू०, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, गाजियाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री गुप्ता
10.1.17

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।